

सुरक्षित (अन्तर्राष्ट्रीय) प्रवासन क्या है ?

विदेश में रोजगार/ नौकरी के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दस्तावेजों के साथ विदेश जाना ही सुरक्षित प्रवासन है।



- विदेश में श्रमिक संघों और गतिविधियों जैसे हड़ताल पर पाबंदी है और ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती हैं।
- विदेश में काम करने जाने से पहले विदेश के श्रमिक विवादों और शिकायतों के नियमों के बारे में जानें।
- अपने गंतव्य देश के मूल श्रम कानूनों और उस देश में अपने अधिकारों और सीमाओं के बारे में जानें।

अगर भारत में किसी भी प्रवासी के साथ धोखाधड़ी की जाती है तो (टोल फ्री) 1800-11-3090 पर शिकायत कर सकते हैं और अगर विदेश में कोई धोखाधड़ी की जाती है तो + 91-11 40503090, 26885021 (शुल्क सहित) पर शिकायत कर सकते हैं

सुरक्षित प्रवासन सम्बंधित जानकारी, प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए एम.आर.सी 9935482070 या टोल-फ्री नंबर 18005470206 पर संपर्क कर सकते हैं।